रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265715
CG-DL-E-26082025-265715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

फा. सं. एफएक्स-11/8/2025-पीआर.—पेंशन उत्पादों में विनियामकीय प्रथाओं, निवेश मानकों को सुसंगत बनाने, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण को मजबूत करने और प्रबंधना परिसंपत्तियों के मजबूत प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु, सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और प्रमुख हितधारक विभागों के परामर्श से पेंशन उत्पादों के विनियामकीय समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

2. संरचना: फोरम में निम्नलिखित संरचना होगी:

क. सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) अध्यक्ष होंगे।

ख. इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)

ii. सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)

iii. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई),

iv. सचिव, कोयला मंत्रालय (एमओसी),

v. सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (डीओआर),

vi. डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) - आरबीआई द्वारा नामित,

vii. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी),

viii. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए),

ix. अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई),

x. अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए),

xi. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)।

ग. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव पेंशन सुधार अनुभाग के प्रभारी फोरम के सचिव होंगे।

घ. फोरम का अध्यक्ष किसी भी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसकी उपस्थिति इसकी किसी भी बैठक के लिए आवश्यक समझी जाती है।

3. फोरम की जिम्मेदारी: फोरम निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों से निपटेगा:

क) अधिक पारदर्शिता और पूर्वानुमान के लिए विनियामकीय स्थिरता।

ख) पोर्टेबिलिटी (वहनीयता) की सुविधा, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को सशक्त बनाना।

ग) उत्पाद विकास और समर्थन के माध्यम से पेंशन बाजार का विकास।

घ) वित्तीय उत्पाद के रूप में पेंशन के प्रति अभिदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।

ड़) पेंशन उत्पादों के विनियामकीय समन्वय और विकास से संबंधित कोई अन्य मामला जिसे सदस्य/अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया गया हो और फोरम/अध्यक्ष द्वारा विवेकपूर्ण समझा गया हो।

4. फोरम पेंशन विनियमों और पर्यवेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

5. फोरम के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाने पर फोरम की बैठक होगी।

6. फोरम में संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की अध्यक्षता में एक उप-समिति होगी जो क्षेत्रीय मुद्दों, विनियामकीय सामंजस्य और पेंशन से संबंधित नीतिगत पहलों पर केंद्रित विचार-विमर्श और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

F. No. FX-11/8/2025-PR.— To provide a platform for harmonizing regulatory practices, investment standards across pension products, strengthening consumer protection, grievance redressal and ensure robust systemic risk management of assets under management, the Government in consultation with the financial sector regulators and key stakeholder Departments, has decided to set up the Forum for Regulatory Coordination and Development of Pension Products.

2. Composition: The Forum shall have the following composition:

a. Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) shall be the Chairperson.

b. Its members shall be:

i. Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (DEA)

ii. Secretary, Ministry of Corporate Affairs (MCA)

iii. Secretary, Ministry of Labour & Employment (MoLE),

iv. Secretary, Ministry of Coal (MoC),

v. Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue (DoR),

vi. Deputy Governor, Reserve Bank of India (RBI)- to be nominated by RBI,

vii. Chairperson, Securities and Exchange Board of India (SEBI),

viii. Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA),

ix. Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI),

x. Chairperson, International Financial Services Centres Authority (IFSCA),

xi. Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO).

c. Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, in- charge of Pension Reforms Section, will be the Secretary of the Forum.

d. The Chairperson of the Forum may invite any person whose presence is deemed necessary for any of its meeting (s).

3. Responsibility of the Forum: The Forum shall deal with issues relating to:

a) Regulatory consistency for greater transparency and predictability.

b) Empowering the subscribers through facilitation of portability, strengthening consumer protection and robust grievance redressal system.

c) Development of pension market through product development and advocacy.

d) Creation of awareness among subscribers towards pension as a financial product.

e) Any other matter relating to the Regulatory Coordination and Development of Pension Products referred to by a member/ Chairperson and considered prudent by the Forum/ Chairperson.

4. The Forum shall also focus on promoting the adoption of international best practices in pension regulations and supervision.

5. The Forum would meet as and when deemed necessary by the Chairperson of the Forum.

6. The Forum shall have a sub-committee headed by the Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services to ensure focused deliberations and follow-up on sectoral issues, regulatory harmonization, and policy initiatives relating to pensions.

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.26 22:56:28 +05'30'